न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी अभिमन्यु कुमार आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या– अपील सख्या 77/16. ता0रजु 26.11.2016.

उनवान

लल्ला खां पुत्र सिकन्दर खां जाति मुसलमान निवासी दरगवां तहसील मण्डरायल जिला करौली।

अपीलान्ट

बनाम

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, मण्डरायल, तहसील मण्डरायल, जिला करौली।

रेस्पोडेन्ट

अपील बनाराजगी निर्णय दिनांक 22.07.2016 न्यायालय तहसीलदार मण्डरायल मुकदमा नं0 12/2016 धारा 91 एल. आर. एक्ट के विरूद्व तहत धारा 75 एल. आर. एक्ट।

निर्णय

दिनांक 11.09.2017.

वकील अपीलान्ट ने यह अपील, तहसीलदार मण्डरायल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.07.2016 के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि न्यायालय तहसीलदार मण्डरायल का निर्णय दिनांक 22.07.2016 विधिविरूद्व है जो अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित करने से पूर्व धारा 91(3) एल.आर. एक्ट के नोटिस की विधिवत तामील नहीं कराई है और अपीलाण्ट को सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना कर एकपक्षीय निर्णय विधिविरुद्ध रूप से अपीलाण्ट को तीन माह के सिविल कारावास व पेनल्टी से दण्डित किया गया है जो विधिविरुद्ध है। पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है जिससे अपीलाण्ट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी साबित होता हो। कोई पूर्व बेदखली रिपोर्ट व मुकदमा नंबर व न्यायालय के निर्णय का अंकन नहीं है। अपीलाण्ट को पटवारी हल्का से जिरह का कोई अवसर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में निर्णय अधीनस्थ न्यायालय विधिविरुद्ध है, निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट का आराजी खसरा नंबर 280 रकबा 02 विस्वा पर कोई अतिक्रमण व कब्जा नहीं है। अपीलाण्ट इस बाबत अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने को तैयार है। अपीलाण्ट का भवन आबादी भूमि में बना हुआ है जिसका पट्टा दिनांक 10.01.1997 को सरपंच ग्राम पंचायत औंढ द्वारा अपीलाण्ट के हक में जारी किया गया है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर निर्णय दिनांक 22.07.2016 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

जिला कलेक्टर
करौली

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को ही दोहराते हुये अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय को निरस्त करने की प्रार्थना की है एवं दौराने बहस दिनांक 10.01.1997 को ग्राम पंचायत औंढ तहसील मण्डरायल द्वारा अपीलाण्ट को जारी किये गये पट्टे की फोटोप्रति प्रस्तुत की है और निर्णय दिनांक 22.07.2016 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

पैरोकार सरकार ने बहस में कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम दरगवां के खसरा नंबर 280 किस्म डोंगरी रकबा 02 विस्वा पर मकान निर्माण कर कब्जा कर रखा है। अपीलाण्ट के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत् निर्णय पारित किया है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस व तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट के तर्क न्याय संगत हैं कि उसे सुनवाई का नोटिस नहीं दिया गया है। सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अनुसार अपीलान्ट को नोटिस जारी किया गया है, उसकी तामील उसकी गैरमौजूदगी में मकान पर चस्पा कर की गई है जिस पर दो साक्षियों के भी हस्ताक्षर नहीं हैं जिससे स्पष्ट है कि अपीलाण्ट पर धारा 91(3) एल.आर. एक्ट के नोटिस की तामील विधिवत नहीं हुई है और निर्णय दिनांक 22.07.2016 अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में एकपक्षीय पारित किया गया है जिससे अपीलाण्ट अपना पक्ष रखने में असमर्थ रहा है। न्यायहित में सजा का आदेश पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायोचित था जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत तामील नहीं कराकर नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत् नहीं होने से अपास्त किया जाना और पत्रावली पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। पत्रावली इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड की जाती है कि अपीलाण्ट को सुनवाई का उचित अवसर देते हुए पुनः गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.09.2017 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अभिमन्यु कुमार)
जिला कलक्टर
करौली